संख्या-15/2016/742/22-2-2015-17(166)/2015

प्रेषक,

राम विशाल मिश्र,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 10 मार्च, 2016

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी कल्लू पुत्र श्री रामनाथ निवासी जनपद- लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-15646/पर-3(एम-05-06-2014) दिनांक-18-06-2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी कल्लू पुत्र श्री रामनाथ निवासी ग्राम-मानपुर, थाना-इटौजा जनपद-लखनऊ का निवासी है। बी0डी0सी0 के चुनाव को लेकर चल रही रंजिश के कारण बंदी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 22-05-1995 को सायंकाल लगभग 08:30 बजे लात घूसों एवं चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-316/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 11 अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा दिनांक 29-09-1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 19-05-2014 तक 18 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 04 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 04 सहअभियुक्त जमानत मुचलके पर रिहा हो चुके है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री रामनाथ निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-14335) पुत्र श्री रामनाथ निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

http://shasanadesh.up.nic.in

तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-742/(1)/22-2-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-742/22-2-2015-17(166)/2015

दिनांक 10 मार्च, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध बन्दी कल्लू (बन्दी संख्या-14335) पुत्र श्री रामनाथ निवासी ग्राम-मानपुर, थाना-इटौजा, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बी0डी0सी0 के चुनाव को लेकर चल रही रंजिश के कारण बंदी ने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 22-05-1995 को सायंकाल लगभग 08:30 बजे लात घूसों एवं चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-316/1996 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-147,148,149,302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 11 अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ द्वारा दिनांक 29-09-1998 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 19-05-2014 तक 18 वर्ष 11 माह 17 दिन की अपरिहार तथा 25 वर्ष 04 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किये गये, 04 सहअभियुक्त जमानत मुचलके पर रिहा हो चुके है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस उप महानिरीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा बन्दी के अभिभावक को उपयुक्त बताते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या तथा बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी कल्लू पुत्र श्री रामनाथ निवासी जनपद-लखनऊ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(राम विशाल मिश्र)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in